15157— 92[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

Rs. 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs. 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

300206

TRY. LKO.
27 AUG 2004
TRY. LKO.

विलेख–पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	:	कृषि
2.	परगना	:	[illegible]
3.	ग्राम	:	[illegible]
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०)	:	खसरा नं० [illegible]
5.	माप की इकाई	:	हेक्टेयर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.1044 हेक्टेयर
7.	सम्पत्ति की स्थिति	:	मुख्य सड़क से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	कोई पेड़ नहीं है।
9.	बोरिंग/कुआं/अन्य	:	कुछ भी नहीं है।
10.	सम्पत्ति की मालियत	:	रु० 12,48,200/-
11.	प्रतिफल	:	रु० 2,42,000/-
12.	स्टाम्प	:	रु० 1,24,400/-

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

Rs. 20000 रु. INDIA NON JUDICIAL Rs. 20000 रु.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

300205

<u>चौहद्दी खसरा संख्या–804</u>

पूरब : खसरा संख्या–803

पश्चिम : खसरा संख्या–829, 830

उत्तर : खसरा संख्या–805

दक्षिण : खसरा संख्या–802, 834

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 300207

- 3 -

प्रथम पक्ष की संख्या–01	द्वितीय पक्ष की संख्या–01
विक्रेता का विवरण	क्रेता का विवरण
राज कुमार पुत्र दुलारे, निवासी–ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला–लखनऊ। व्यवसाय – कृषि–	गनेश पुत्र गिरी लाल, निवासी–मिर्जापुर, मिरारी, पोस्ट–नवगांव, जिला–फतेहपुर, उ०प्र०। व्यवसाय – कृषि

गनेश

राजकुमार

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs.20000 INDIA NON JUDICIAL Rs.20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 300204

TRY. LKO

27 AUG 2004

-4-

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख राम कुमार पुत्र दुलारे, निवासी–ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला– लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् गनेश पुत्र मिश्री लाल, निवासी– मिर्जापुर, गिहारी, पोस्ट– गनगांव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

जो कि विक्रेता मालिक, काबिज व काबिज आराजी कृषि भूमि खसरा

गनेश

राम कुमार

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

300203

संख्या–804 रकबा 0.554 हेक्टेयर का 1/4 भाग यानि अपना हिस्सा रकबा 0.1385 हेक्टेयर, स्थित ग्राम–अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ, का है, जो कि उसे वरासतन प्राप्त हुई है, जो कि खतौनी संख्या–00264 के अनुसार राजस्व अभिलेखों में विक्रेता के नाम का अमल दरामद हो गया है, विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है। विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

स्थापित है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है। कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय से पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 180530

है एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप रू0 10,43,390/- रूपया दस लाख तैंतालिस हजार तीन सौ नब्बे मात्र के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के साथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कब्जा दे दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को कब्जा करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगी एवं न ही कोई मांग कर सकेंगी। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जावे तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता व उसके वारिसान की चल, अचल सम्पत्ति

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होंगे।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व अदा करेगी, विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम [illegible] अर्धनगरीय क्षेत्र के अति विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 17,50,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब निर्धारित है, जिसके अनुसार विक्रीत रकबा 0.1385 हेक्टेयर की मालियत रू0 2,42,375/- होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 1,04,400/- बतौर स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी० की अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निष्पादन का सम्पूर्ण व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है। -

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

SEP 20

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

कृषि भूमि खसरा

संख्या–804 रकबा 0.554 हेक्टेअर का 1/4 भाग यानि अपना हिस्सा रकबा 0.1385 हेक्टेअर, स्थित ग्राम-अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ।

विक्रय पत्र

10/10/2007 [illegible] [illegible] 5,000.00 [illegible] 5,040.00 2,000

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

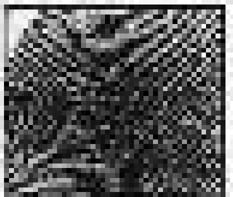

श्री / श्रीमती राम कुमार
पुत्र / पत्नी श्री [illegible]
पेशा कृषि
निवासी स्थायी [illegible]
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 10/10/2007 समय 4:00PM
बजे निबंधन हेतु पेश किया।

[illegible]
उप निबंधक (द्वितीय)
लखनऊ
10/10/2007

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री/श्रीमती [illegible]
पुत्र/पत्नी श्री [illegible]
पेशा कृषि
निवासी [illegible]

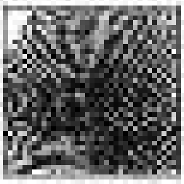

क्रेता
श्री/श्रीमती [illegible]
पुत्र/पत्नी श्री [illegible]
पेशा कृषि
निवासी [illegible]

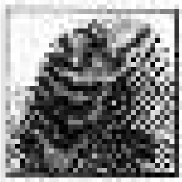

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री सुशील कुमार मिश्रा
पुत्र श्री [illegible] मिश्रा
पेशा वकालत
निवासी [illegible]
व श्री [illegible] कुमार
पुत्र श्री [illegible]
पेशा कृषि
निवासी [illegible]
ने की।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

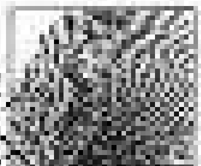

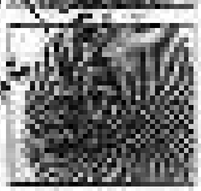

[illegible]
उप निबंधक (द्वितीय)
लखनऊ
10/10/2007

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

विक्रेता को रू० 10,43,390/- (रूपया दस लाख तैंतालिस हजार तीन सौ नब्बे मात्र) द्वारा चेक संख्या:- [illegible] दिनांकित 10.10.2007 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा -हजरतगंज,लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू० 10,43,390/- (रूपया दस लाख तैंतालिस हजार तीन सौ नब्बे मात्र) विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

नोट : पृष्ठ संख्या-14 पर चेक संख्या पेन से लिखी है।

लखनऊ

दिनांक: 10.10.2007

गवाह

1. [illegible]

विक्रेता

2. [illegible]

क्रेता

टाईपकर्ता

(राम सनेही)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(सैय्यद अन्वर हुसैन)

एडवोकेट

[illegible]

Registration No. 9240 Year : 2007 Book No.

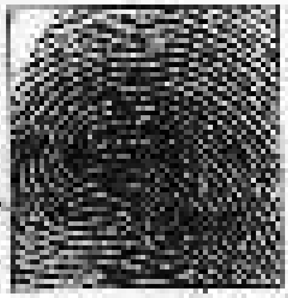

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा – 32 ए0 के अनुपालन हेतु.

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता – ....

....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह –

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह –

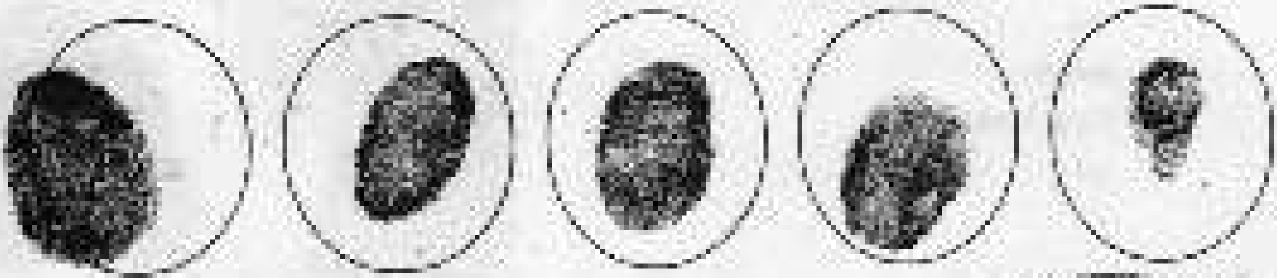

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता – ....

....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह –

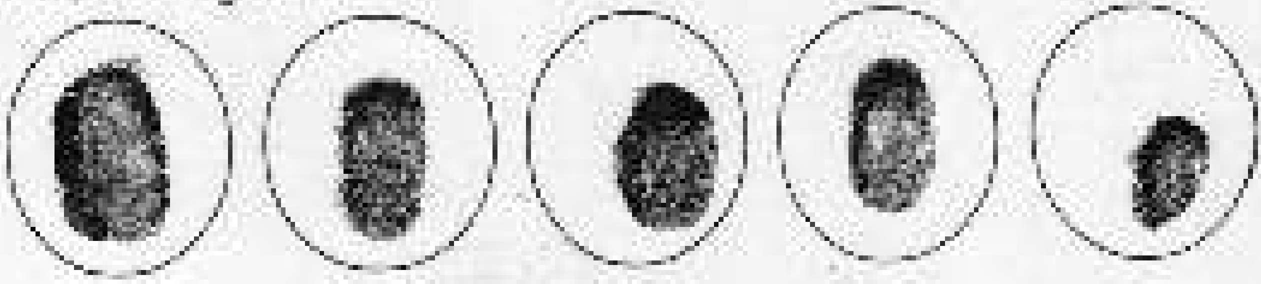

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह –

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

Registration No. [illegible]   Year : 2007   Book No. 1

0201 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

<u>नक्शा नजरी</u>

ग्राम :

खसरा संख्या :

जिला :

क्षेत्र :

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण

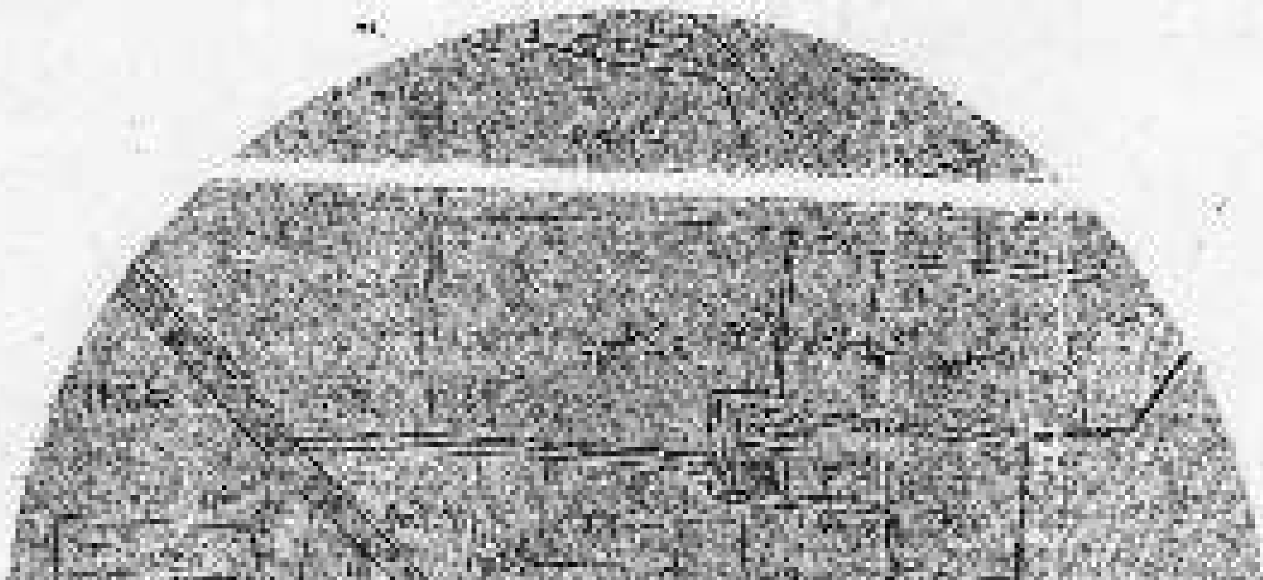

आज दिनांक 10/10/2007 को

बही सं 1 जिल्द सं 6963

पृष्ठ सं 307 से 338 पर क्रमांक 9240

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

एस.एल.पाल

उप निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

10/10/2007